कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) मध्यप्रदेश

प्रगति भवन तृतीय तल, एम.पी.नगर, जोन–1, भोपाल (म0प्र0)
दूरभाष 0755–2674248, 2674318 फैक्स 0755–2766315 E-mail—pccfwl@mp.gov.in

क्रमांक/संरक्षण/2021/4062 भोपाल, दिनांक 15/6/2021

प्रति,

1. समस्त मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय)
2. समस्त क्षेत्रीय मुख्य महाप्रबंधक, वन विकास निगम
3. समस्त क्षेत्र संचालक, टाइगर रिजर्व/राष्ट्रीय उद्यान
4. प्रभारी, स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स, मध्यप्रदेश।

विषय :– माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा "अरनेश कुमार विरूद्ध बिहार राज्य" वर्ष 2014 में पारित निर्णय एवं वनाधिकारियों के द्वारा गिरफ्तार आरोपियों के संबंध में।

––00––

उपरोक्त विषयांतर्गत पत्र के तारतम्य में लेख है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा "अरनेश कुमार विरूद्ध बिहार राज्य" वर्ष 2014 में पारित निर्णय में पुलिस अधिकारियों को ऐसे अधिनियमों/नियमों के उल्लंघन जिसमें सात साल तक की सजा का प्रावधान हो, उन अपराधों में लिप्त आरोपियों को गिरफ्तार करते समय दंण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 41 के प्रावधानों के संबंध में दिशा–निर्देश जारी कर पालन करने हेतु निर्देशित किया गया है।

माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा याचिका क्रमांक 9320/2021 सूओमोटो विरूद्ध मध्यप्रदेश शासन में दिनांक 17.05.2021 को कोविड–19 महामारी को देखते हुये, जेल में बढ़ रही बंदियो की संख्या को कम करने बावत मध्यप्रदेश राज्य के पुलिस अधिकारियों को "अरनेश कुमार विरूद्ध बिहार राज्य" के संबंध में पूर्व में जारी विस्तृत दिशा–निर्देशो को पालन किये जाने हेतु पुनः निर्देशित किया गया है।

उपरोक्त निर्देश पुलिस अधिकारियों हेतु व दंड प्रक्रिया संहिता के संबंध में माननीय न्यायलयों द्वारा जारी किये गये है। इस संबंध में यहॉ यह स्पष्ट किया जाता है कि समय–समय पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश के द्वारा पारित निर्णय में यह आदेश दिया गया है कि वनाधिकारी पुलिस अधिकारी नही है तथा वन्यप्राणी (संरक्षण) अधिनियम 1972 व अन्य वन अधिनियम एक स्पेशल एक्ट है। जिसमें जनरल एक्ट (दंड प्रक्रिया संहिता) के प्रावधान पूर्णतः लागू नही होते है। उपरोक्त निर्णय के उपरांत भी प्रदेश के कई जिलों भोपाल, इंदौर, जबलपुर, उमरिया में वनाधिकारियों द्वारा गिरफ्तार आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया तथा उनकी जमानत याचिकायें संबंधित माननीय न्यायालय द्वारा सुनी गई व उन्हे निरस्त कर आरोपियों को जेल भेजा गया है।

अतः उपरोक्त बिन्दुओं के तारतम्य में यह निर्देशित किया जाता है कि पूर्व निर्धारित प्रक्रिया के अंतर्गत ही कार्यवाही की जावे व वन विभाग के द्वारा दर्ज प्रकरणों में गिरफ्तार आरोपियों को ट्रायल कोर्ट में पेश करते समय धारा 41(1)(ख) की चेक लिस्ट को अनिवार्य रूप से लगाये तथा आवश्यतानुसार सक्षम वनाधिकारी द्वारा स्वयं अथवा लोक अभियोजन अधिकारी/शासकीय अधिवक्ता के माध्यम से उपरोक्त बिन्दुओं से ट्रायल कोर्ट को अवगत कराकर आरोपियों को जेल भेजना अथवा जमानत याचिकाओं को निरस्त कराने की कार्यवाही की जावे।

संलग्नः– चेक लिस्ट का प्रारूप।

11/06/2021

(आलोक कुमार)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) एवं
मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक म.प्र.
भोपाल, दिनांक

पृ.क्रमांक/संरक्षण/2021/4063

प्रतिलिपि :– 1. प्रबंध संचालक वन विकास निगम, पंचानन भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष–संरक्षण) सतपुड़ा भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) एवं
मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक म.प्र.

f:\letter-2021.docx

चैक लिस्ट (दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 41 (1) (b) (11) के अंतर्गत निर्मित

कार्यालय परिक्षेत्र अधिकारी/थाना प्रभारी..... जिला .....

अपराध क्र0		धारा
आरोपी का पूर्ण विवरण		
गिरफ्तारी का दिनांक		समय

उपरोक्त नामित आरोपी की गिरफ्तारी निम्नलिखित कारण से की गई है

1	आरोपी को आगे अन्य कोई अपराध को करने से रोकने के लिये गिरफ्तार किया गया ?	हां/नही
यदि हां तो कारण		

2	इस अपराध की समुचित जांच के लिये गिरफ्तार किया गया है ?	हां/नही
यदि हां तो कारण		

3	आरोपी की इस अपराध से संबंधित सबूत को गायब या किसी तरह से छेड़छाड़ करने से रोकने क लिये गिरफ्तार किया गया है ?	हां/नही
यदि हां तो कारण		

4	आरोपी की किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा न्यायालय या पुलिस को ऐसे किसी तथ्य की जानकारी देने से प्रवचना, धमकी या वचन के द्वारा निर्धारण करने के लिये, जो कि इस मामले के तथ्य की जानकारी रखता है, गिरफ्तारी किया गया है ?	हां/नही
यदि हां तो कारण		

5	आरोपी की उपस्थिति न्यायालय के समक्ष सुनिश्चित करने के लिये गिरफ्तार किया गया है ?	हां/नही
यदि हां तो कारण		

प्रत्येक आरोपी के लिए पृथक चेक लिस्ट भरी जावेगी।	
नोट :–	1. चेक लिस्ट में दर्शित कारण की सत्यता साबित करनी होगी। 2. चेक लिस्ट का प्रत्येक पृष्ठ विवेचना/जांच अधिकारी के द्वारा हस्ताक्षरित होगा। 3. चेक लिस्ट में कारण दर्शित करने के लिये पृथक पृष्ठ का प्रयोग किया जा सकेगा। 4. चेक लिस्ट को विधिवत पूर्ण रूप से केस डायरी सहित सक्षम क्षेत्राधिकारिता वाले न्यायालय के समक्ष पेश करें।

स्थान :

दिनांक :

विवेचना/जांच अधिकारी के हस्ताक्षर